न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2023/45 दायर दिनांक 17.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू। –सायल–

बनाम

1. श्री अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह (विक्रेता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001।
2. श्री मितेश कुमार पुत्र श्री रामतिलक (निर्माता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001।

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 व 58 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत वास्ते गैरसायल।

निर्णय दिनांक 28.12.2023

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मैं धर्मवीर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरू आंवटित किया हुआ है तथा जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्राधिकार में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2023 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ जिला चूरू से दुरभाष पर प्राप्त सुचना अनुसार कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों के सयुक्त जांच दल में राजकिय वाहन आर जे10 ई 0082 में सवार हो क्षेत्राधिकार में राजगढ़ पहुंचकर श्री नरेन्द्र नागर (पी) (आरपीएस) पुलिस थाना राजगढ से मिला। श्री नरेन्द्र नागर द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ जिला चूरू को सम्बोधित करते हुये तहरीर क्रमांक एसपीएल–1 दिनांक 09.06.2023 इस आशय के प्रस्तुत की व बताया की थाना क्षेत्र में स्थित रिको क्षेत्र में अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी सेक्टर 16 मकान नं. 254 हिसार पुलिस थाना सिविल लाईन हिसार मो० नं० 9306488106 द्वारा विम्भिन खाद्य तेलो को मिलाकर खाद्य पदार्थ घी के नाम से पैक कर बैचान किये जाने की सुवना जरिये मुखबीर प्राप्त होने की दी व फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही करने को आग्रह किया। श्री नागर द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर असल संलग्न न्यायनिर्णय आवेदन है।
3. पुलिस विभाग की सुचना व मुखबीर की निशानदेही पर उक्त शिकायती फर्म मै० जय श्री राम फुड प्रोडक्ट काशी राम जाट का प्लाट रिको इन्डस्ट्रीज ऐरीया राजगढ जिला चूरू पर 07.00 पी.एम. पर पर पहुंचा। मौके पर श्री अंकित दुहन उपस्थित मिला मैने श्री अंकित दुहन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। श्री दुहन ने स्वंय को संस्थान का मालिक व विक्रेता होना बताया। मेरे द्वारा श्री अंकित दुहन से फर्म के मालिकाना हक व स्वंय की पहचान तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र वास्ते जांच मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा स्वंय के पहचान पत्र की छाया प्रति व परिसर किराये पर लेने का किरायानामा मौके पर प्रस्तुत किया व मौके पर खाद्य पदार्थ कारोबार के संबंध में खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर प्रस्तुत करने में असफल रहा। श्री दुहन ने बताया की उनकी मुख्य फर्म मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K-M- Stone, Mirjapur Road, Hisar है। जिसके द्वारा घी के ब्राण्ड हरमन प्लस, डेयरी मोहन, डेयरी सुपर के नाम से विभिन्न पैकिगों में 200 ग्राम 500 ग्राम 1 लीटर/किलो ग्राम 2 लीटर व 15 किलो ग्राम के टिन में पैक कर आम जनता को विक्रय किया जाने का काम किया जाता है। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर एक लोहे के घाने जिसकी क्षमता 400 लीटर है में तैयार शुद्धा लगभग 200 लीटर खाद्य पदार्थ मौके पर भण्डारीत पाया जिसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

विक्रेता ने घी होना बताया जिसमें मिलावट की आशका होने पर जिसकी टॉटी से वास्ते नमुना जांच 800 ग्राम घी विक्रेता से क्रय कर लिया गया। विक्रेता द्वारा माके पर प्रस्तुत आधार कार्ड व अनुसंधान में प्रस्तुत समस्त कागजात सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री अंकित दुहन को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि घी लुज में मिलावट की शका होने पर एक साफ सुखा स्टील के भगोना में वास्ते जाच 800 ग्राम नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री अंकित दुहन को 400/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री निर्मल कुमार महर्षि व जगदीश एफसी 1140 पुलिस थाना राजगढ़ के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी को विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष चार साफ सुखी एवं खाली प्लास्टिक कि बोतलों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया। अभिहित अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरयुक्त एक ही कोड व कमांक एल–3606 चार स्लीप जारी कि गयी थी। एक ही जैसे चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलो पर चिपकाये और प्रत्येक लेबल पर अभिहीत अधिकारी के कोड एवं क्रमाक एल–3606 दर्ज कर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने स्वयं हस्ताक्षर कर विकेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें। उक्त प्रकार से तैयार चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–3606 नियमानुसार नमुना के चारो बोतलों पर राउण्ड गोलाई में टॉप टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने भागो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व खाखी कागज एवं खाखी कागज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। नमूने का विवरण अंकित कर मैने स्वयं हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही कि मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ कर सुनाई व समझाई जिन्होने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वयं हस्ताक्षर कर मौके पर कागजात व चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। घाने में रखे शेष घी को 14 टिनो में भरवाकर सीज किया गया व नियमानुसार फार्म नं. 02 व फार्म नं. 03 तैयार कर विक्रेता मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर करवा मैने स्वंय हस्ताक्षर किये। नमूना संख्या 3606 से संबंधित समस्त कार्यवाही की मौका फर्द तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाई व समझाई जिन्होने सत्यमान हस्ताक्षर किये मैने स्वंय ने हस्ताक्षर कर नमूना सील की प्रति मुद्रा मौका फर्द पर अंकित पर स्वंय के हस्ताक्षर किये। जो संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर नमूने की जांच हेतु ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियों तैयार कर मौके पर सील चपडी किये गये नमूनों में प्रयुक्त नमूना सील कि प्रति मुद्रा अंकित कर नमूने का विवरण अंकित किया। उक्त प्रकार से तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर सील बन्द किया। तैयार ज्ञापन फार्म नम्बर 6 की दो मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता अंकित लिफाफे मे रख सील चपडी किया। उक्त प्रकार से तैयार आउटर कवर में रखा नमूना संख्या एल–3606 का एक नमूना भाग व पृथक से सील–चपडी सुदा लिफाफा कार्यालय के श्री विनोद कुमार थारवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा रतनगढ़ के माध्यम से प्रयोगशाला में जमा करा जमा की रसीदे प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना दो तैयार ज्ञापन प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. सयुक्त जाच दल द्वारा मौके पर समस्त कार्यवाही करने के पश्चात आम जन के स्वास्थ्य के हित में मैसर्स–जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K-M- Stone, Mirjapur Road, Hisar के मालिको द्वारा काशी राम जाट का प्लाट रिको इन्डस्ट्रीज ऐरीया राजगढ जिला चूरू में संचालित घी की फैक्ट्री में रखे समस्त तैयार खाद्य पदार्थ घी व वनस्पति व पाम ऑयल भरे टिनो रेपर व गत्ता कार्टुनी इत्यादि को एक लगभग 50x70 फिट के पके पोस हॉल में बन्द कर विक्रेता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया व विक्रेता गवाहान के समक्ष हस्त लिखित फर्द तैयार की गई जो असल संलग्न न्यायनिर्णयन है।

9. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ द्वारा अग्रेषण पत्र क्रमांक–832 दिनांक 30.06.2023 के साथ संलग्न कर खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस./2399/एक्ट/2023/2403 दिनांक 23.06.2023 प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर पाया कि विक्रेता श्री अंकित दुहन से वास्ते नमूना जांच कय कर लिया गया खादय पदार्थ घी, सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषण पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

10. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकेता को लिखे गये पत्र व जबाब पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1011 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मवीर को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू जिला चूरू को प्रकरण पेश करने हेतु प्राधिकृत किया।

12. यह कि उक्त प्रकरण में श्री अंकित दुहन व श्री मितेश कुमार ने सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है अतः उपरोक्त प्रकरण श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के बाद गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज गहलोत ने वकालत–नामा पेश किया व दिनांक 13.10.2023 को गैरसायल की ओर से जवाब पेश किया तथा दिनांक 20.12.2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान गवाह एवं बहस करवायी गयी।

गैरसायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से घी के चार सैम्पल लेकर चार परिवाद प्रकरण (2023/45, 2023/46, 2023/47, 2023/48) तैयार कर न्यायालय में पेश किये गये है। उक्त सभी प्रकरणों में लिये गये सैम्पल की जांच रिपोर्ट सबस्टेण्डर्ड आयी है। श्रीमानजी मेरे द्वारा कभी भी कोई मिलावट नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जानबूझकर एक प्रकरण नहीं बनाकर अलग–अलग चार प्रकरण बना दिये गये है, जो कि उचित नहीं है। श्रीमानजी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति उचित नहीं है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, माताजी कैन्सर पीड़ित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान मे जब्त किया हुआ सामान भी पड़ा रहने से खराब हो रहा है। मेरे विरूद्ध समस्त कार्यवाही निरस्त कर प्रकरण निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ घी सेम्पल नं. एल–3606 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./2399/एक्ट/2023/2403 दिनांक 23.06.2023 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 58 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व अधिवक्ता गैरसायल को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ घी की रिपोर्ट संख्या एल.एस./2399/एक्ट/2023/2403 दिनांक 23.06.2023 से सबस्टैण्डर्ड फुड व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायलान के द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायलान को **सबस्टेण्डर्ड** व Contravenes Regulation No 2.3.7(2) Of Food Safety And Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulations 2011 Due to Presence of Foreign Fat खाद्य पदार्थ घी बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत गैरसायल संख्या 1. श्री अंकित दुहन पुत्र श्री दलवीर सिंह (विक्रेता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001 को **रूपये 5,00,000/— (पांच लाख रूपये)** की शास्ति तथा गैरसायल संख्या 2. श्री मितेश कुमार पुत्र श्री रामतिलक (निर्माता मालिक), मैसर्स जय श्री राम फुड प्रोडक्ट, 7th K.M. Stone, Mirjapur Road, Hisar - 125001 को **रूपये 2,00,000/— (दो लाख रूपये)** की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायलान उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायलान द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायलान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू